



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-12062026-273387
CG-MH-E-12062026-273387

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948

No. 417]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 11 जून, 2026

सा.का.नि. 467(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में उज्जैन-फतेहाबाद रेल अमान परिवर्तन नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन एवं संचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि क्र भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा(1)के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात्, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), अनुविभाग-उज्जैन (ग्रामीण) जिला उज्जैन म.प्र. को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिए अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा(I) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), अनुविभाग के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची
मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में उज्जैन –फतेहाबाद रेल अमान परिवर्तन नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्र	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेयर
1	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	228	निजी	0.4195
2	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	229/3	निजी	0.0010
3	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	260/1/2	निजी	0.6034
4	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	213/933	शासकीय	0.0528
5	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	262	शासकीय	0.0186

[फा.सं. ई. 82421-01]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th June, 2026

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(i) of section 20A of the Railways Act, 1989(as Amendment Act 2008,), the Central Government after being satisfied that the land, brief description of which has given in the schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely Western Railway Gauge Conversion project of Ujjain-Fatehabad section in Ujjain District of the State of Madhya Pradesh, hereby, declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made in writing to the competent Officer i.e. Competent Authority, & Sub-Divisional Officer (Revenue) sub-division Ujjain District- Ujjain, M.P. and shall set out the grounds thereof and the competent officer shall afford the applicant an opportunity of being heard, either in person or through legal practitioner and after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent officer may deem necessary, may by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (I) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above mentioned office of the Competent Authority and office of Sub-Divisional Officer (Revenue) Sub-Division Ujjain.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structure to be acquired for Special Railway Project namely Western Railway Gauge Conversion project of Ujjain-Fatehabad section in Ujjain District of the State of Madhya Pradesh.

S no.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Land to be Acquired Area in hect.
1	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasiya	228	Private	0.4195
2	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasiya	229/3	Private	0.0010
3	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasiya	260/1/2	Private	0.6034
4	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasiya	213/933	Govt.	0.0528
5	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasiya	262	Govt.	0.0186

[F. No. E. - Office (E. 82421-01)]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer Construction-IV